



भारत के चुनावी लोकतंत्र का सुदृढीकरण

यह संपादकीय 25/11/2024 को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेख "[Election Commission of India is one of the greatest gifts of the Constitution](#)" पर आधारित है। इस लेख में भारत की चुनाव प्रणाली की ताकत और चुनौतियों को उजागर किया गया है जो नरिवाचन आयोग तथा न्यायिक नगिरानी द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डालता है, साथ ही इसमें व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर भी बल देता है।

प्रलिस के लिये:

[भारत की चुनाव प्रणाली](#), [चुनावी बॉण्ड](#), [भारत सरकार अधिनियम \(मॉटेग्यू-चेमसफोरड सुधार\), 1919](#), [भारत सरकार अधिनियम, 1935](#), [अनुच्छेद 324](#), [61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989](#), [सूचना का अधिकार अधिनियम](#), [उपर्युक्त में से कोई नहीं \(NOTA\)](#), [आदर्श आचार संहिता](#), [लोकतांत्रिक सुधार संघ](#), [जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951](#)

मेन्स के लिये:

भारत में चुनाव प्रणाली का विकास, भारत की चुनाव प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

वर्ष 1949 में संविधान द्वारा स्थापित [भारत की चुनाव प्रणाली](#), विश्व स्तर पर प्रशंसित लोकतांत्रिक ढाँचे के रूप में मानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, राष्ट्र राजनीतिक अपराधीकरण और प्रणालीगत चुनावी कमज़ोरियों सहित महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। नरिवाचन आयोग ने उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेष रूप से मतदाता प्रतिनिधित्व और चुनावी अखंडता में सुधार करने में। लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा में न्यायिक नगिरानी महत्त्वपूर्ण रही है, विशेष रूप से हाल ही में [चुनावी बॉण्ड](#) के फैसलों में। वास्तव में विकसित होने के लिये, भारत को व्यापक चुनावी सुधारों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता है।

भारत में चुनाव प्रणाली किस प्रकार विकसित हुई?

■ स्वतंत्रता-पूर्व युग:

- [भारत शासन अधिनियम, 1858](#): ब्रिटिश क्राउन ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया; कोई प्रतिनिधि शासन नहीं।
- [भारतीय परिषद अधिनियम, 1861](#) और [1892](#): विधान परिषदों में भारतीयों की सीमति भागीदारी शुरू की गई, लेकिन चुनावी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।
- [भारत सरकार अधिनियम, 1909 \(मार्ले-मट्टे सुधार\)](#): मुसलमानों के लिये पृथक नरिवाचिका के साथ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई।
 - भारतीयों के लिये चुनावी प्रतिनिधित्व के सीमति स्वरूप का पहला उदाहरण।
- [भारत सरकार अधिनियम \(मॉटेग्यू-चेमसफोरड सुधार\), 1919](#): संपत्ति मालिकों और करदाताओं को शामिल करने के लिये नरिवाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया।
 - प्रांतीय परिषदों में आंशिक भारतीय प्रतिनिधित्व के साथ द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई।
- [भारत सरकार अधिनियम, 1935](#): प्रांतीय स्वायत्तता और विस्तारित नरिवाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया।

■ स्वतंत्रता-पश्चात् युग:

- संविधान सभा की बहस: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में अपनाया गया और चुनावों के लिये एक समावेशी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।

■ चुनावों से संबंधित अनुच्छेद:

- [अनुच्छेद 324](#): स्वतंत्र और नृषिपक्ष चुनावों के प्रबंधन के लिये भारत के नरिवाचन आयोग (ECI) की स्थापना।
- [अनुच्छेद 325-329](#): चुनाव, नरिवाचन क्षेत्रों के परिमिमन और भेदभाव के नृषिध के लिये रूपरेखा सुनिश्चित करना।

■ चुनाव प्रणाली में प्रमुख विकास:

- [प्रारंभिक आम चुनाव \(वर्ष 1951-52\)](#): सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ आयोजित पहला लोकतांत्रिक चुनाव।
 - 173 मिलियन से अधिक मतदाताओं ने इसमें भाग लिया; **85% अक्षिषति थे, जिसके कारण पार्टियों के लिये प्रतीकों** जैसे नवीन उपायों की आवश्यकता पड़ी।
- [ECI का संस्थागत सुदृढीकरण](#): प्रारंभ में, आयोग में केवल एक मुख्य नरिवाचन आयुक्त शामिल था।

- वर्ष 1989 में, **ECI एक बहु-सदस्यीय निकाय** बन गया।
- वर्ष 1990 में यह कुछ समय के लिये एक सदस्यीय निकाय में बदल गया, लेकिन वर्ष 1993 से यह **तीन सदस्यीय निकाय** (एक **मुख्य नरिवाचन आयुक्त** और दो **नरिवाचन आयुक्त**) के रूप में कार्य कर रहा है।
- मतदान की आयु में कमी: **61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1989** ने मतदान की आयु को **21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष** कर दिया, जिससे चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी संभव हो गई।
- **सूचना का अधिकार अधिनियम (वर्ष 2005)**: राजनीतिक दलों को सार्वजनिक जाँच के दायरे में लाया गया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में राजनीतिक दलों को वधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिये **अपनेउम्मीदवारों का संपूर्ण अपराधिक इतिहास प्रकाशित करने का आदेश** दिया था।
- **तकनीकी एकीकरण**:
 - वर्ष 1989: **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** का प्रावधान किया गया।
 - वर्ष 2011: पारदर्शिता बढ़ाने के लिये वोटर-वेरफियिबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का प्रोटोटाइप विकसित किया गया और वर्ष 2013 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया।
 - **उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA) का परिचय**: वर्ष 2013 में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, EVM में **NOTA** विकल्प पेश किया गया, जिससे मतदाताओं को मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए किसी भी उम्मीदवार को चुनने से परहेज़ (मतदान में भाग नहीं लेने) करने की अनुमति मिली।
 - **आदर्श आचार संहिता (MCC)**: केरल में प्रारंभ (वर्ष 1960) MCC का, राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ वर्ष 1979 तक वसितार हो गया।
 - **टी.एन. शेषन का कार्यकाल (CEC)** आदर्श आचार संहिता के सख्त प्रवर्तन तथा वर्ष 1993 में **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC)** की शुरुआत के लिये जाना जाता है।


भारत की चुनाव प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **चुनावों में धन-बल**: चुनावों में धन का अनर्थांतरि प्रयोग स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव के सिद्धांत को कमजोर करता है।
 - राजनीतिक दल और उम्मीदवार प्रायः **बेहिसाब धन पर नरिभर रहते हैं**, जिससे वित्तपोषण अस्पष्ट हो जाता है तथा नगिर्मों एवं धनी लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है।
 - **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफिॉर्मस (ADR)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक दलों को प्राप्त लगभग **60% धनराशिका पता नहीं लगाया जा सकता** है और यह **चुनावी बॉण्ड संहिता 'अज्ञात' स्रोतों से आती है**।
 - चुनावी बॉण्ड के माध्यम से अब तक वभिन्न राजनीतिक दलों को **16,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशिका प्राप्त हुई है**।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि **चुनावी बॉण्ड योजना मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक है**।
- **राजनीतिक अपराधिकरण**: अपराधिक पृष्ठभूमिवाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या से शासन में जनता का विश्वास कम हो रहा है।
 - पार्टियाँ **ईमानदारी की अपेक्षा जीतने की संभावना को प्राथमिकता** देती हैं तथा प्रायः गंभीर आरोपों वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हैं।
 - ADR की वर्ष 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि **543 नवनरिवाचित लोकसभा सदस्यों में से 251 (46%) के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं**, जिनमें से **27 को दोषी ठहराया गया है**। यह अपराधिक आरोपों वाले नरिवाचित उम्मीदवारों की सबसे अधिक संख्या है।
 - अपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने के **सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के कमजोर प्रवर्तन के कारण सीमित प्रभाव पड़ा है**।
- **कम मतदान**: मतदाताओं की उदासीनता, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, एक सतत् मुद्दा बनी हुई है, जो **चुनावी प्रक्रिया की वैधता को प्रभावित कर रही है**।
 - **जागरूकता की कमी, तार्किक चुनौतियाँ और राजनीति से अलगाव** भागीदारी में बाधा उत्पन्न करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, **लोकसभा चुनाव वर्ष 2023 के तीसरे चरण में वर्ष 2019 की तुलना में मतदाता मतदान में 2.9% की गिरावट** देखी गई। **बंगलूर जैसे शहरी नरिवाचन क्षेत्रों में मतदान 54% तक कम रहा**।
- **चुनावी हिसा और धमकी**: धमकी और हिसा कई राज्यों में, विशेषकर ग्रामीण एवं संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करती है।
 - इससे मतदाता की स्वतंत्र अभिव्यक्ति बाधित होती है तथा नषिपक्षता से समझौता होता है।
 - उदाहरण के लिये, **लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 के छठे चरण के दौरान पश्चिम बंगाल में हिसा की खबर**।
- **मीडिया का दुरुपयोग**: प्रचार-प्रसार एवं गलत सूचना के प्रसार के लिये मीडिया का दुरुपयोग मतदाताओं को ध्रुवीकृत करता है और लोकतांत्रिक संवाद को विकृत करता है।
 - **पेड न्यूज़ तथा नयामक तंत्र** की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है।
 - एक सर्वेक्षण के अनुसार, **भारत में पहली बार मतदान करने वाले लगभग 80% मतदाताओं को लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्ज़ी खबरों का सामना करना पड़ता है**।
 - मतदाताओं तक पहुँच बढ़ाने के लिये **मनोज तिवारी के डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल किया गया**।
- **नरिवाचन आयोग की स्वतंत्रता**: पक्षपात की धारणा और उल्लंघनों के विरुद्ध वलिंब से कार्रवाई के कारण नरिवाचन आयोग (EC) की स्वायत्तता तथा नषिपक्षता पर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।
 - वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने **मुख्य चुनाव आयुक्त के लिये एक चयन समिति का गठन करने का आदेश** दिया ताकि अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। हालाँकि इन उपायों की प्रभावशीलता अभी भी देखी जानी बाकी है।
 - **वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की अपेक्षित घोषणा से कुछ दिन पूर्व** चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से संदेह उत्पन्न हो गया है।
- **EVM विश्वसनीयता और VVPAT कार्यान्वयन**: नरिवाचन आयोग के आश्वासन के बावजूद, EVM से छेड़छाड़ के बारे में संदेह बना हुआ है, विशेष

रूप से वपिकषी दलों के बीच ।

- रपिोर्ट में असम जैसे राज्यों में EVM में खराबी का संकेत दिया गया, जहाँ तकनीकी समस्याओं के कारण लगभग **150 EVM को बदलना पड़ा** ।
- मतगणना में **VVPAT पेपर ट्रेल्स के सीमति प्रयोग** से संदेह और बढ़ जाता है ।
- **लगि प्रतनिधित्व अंतर:** वधायी नकियों में महिलाओं का कम प्रतनिधित्व उम्मीदवार चयन में संरचनात्मक पूरवारह को दर्शाता है ।
 - लोकसभा में महिलाओं की संख्या केवल 13.6% (वर्ष 2024) है । नारी शक्तिवदन अधनियम वर्ष 2029 के बाद ही लागू कया जाएगा, जो राजनीतिक सुधार की धीमी गतिको दर्शाता है ।
- **बार-बार चुनाव और आदर्श आचार संहति:** राज्यों में बार-बार चुनाव होने से शासन व्यवस्था में गतरिध उत्पन्न होता है, क्योंकि **आदर्श आचार संहति के कारण नरिणय लेने और नीतिकार्यानवयन में बाधा उत्पन्न होती है** ।
 - इससे संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है तथा एक साथ चुनाव कराने को एक संभावति समाधान के रूप में प्रस्तावति कया गया है ।
 - सात चरणों में आयोजति वर्ष **2019 के लोकसभा चुनावों पर 60,000 करोड़ रुपए की लागत** आई, जो खंडति चुनावों के कारण होने वाले रसद और वतितीय बोझ को उजागर करता है ।
- **वोट खरीदने और मुफ्त उपहार देने की संस्कृति:** नकदी, शराब और अन्य प्रलोभनों के वतिरण से चुनाव की पवतिरता प्रभावति होती है तथा इससे शासन के परणाम खराब होते हैं ।
 - **भारत के नरिवाचन आयोग** ने हाल ही में **महाराष्ट्र और झारखंड में हुए वधिनसभा उपचुनावों के दौरान 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकिोर्ड ज़बती की सूचना दी, जो वर्ष 2019 की तुलना में सात गुना अधिक है** ।
 - इस ज़बती में नकदी, बहुमूल्य धातुएँ, डरग्स, शराब और मुफ्त उपहार शामिल थे तथा ज़बती में महाराष्ट्र सबसे आगे था ।
 - इसके अतरिकित, राजनीतिक भाषा में **फ्रीबीज़** या **'रेवडी कलचर'** जैसे असंवहनीय मुफ्त उपहारों का वादा, सतत् विकास नीतियों से ध्यान भटकाता है ।
- **आंतरकि-पार्टी लोकतंत्र का अभाव:** राजनीतिक दलों में परायः पारदर्शति और आंतरकि लोकतंत्र का अभाव होता है, जिसके कारण केंद्रीकृत नरिणय एवं वंशवादी राजनीतिको बढ़ावा मलितता है ।
 - वर्तमान में, भारत में राजनीतिक दलों के **आंतरकि लोकतांतरकि वनियमन** के लयि कोई वैधानकि समर्थन नहीं है और एकमात्र नयामक प्रावधान **जनप्रतनिधित्व अधनियम, 1951 की धारा 29A** के तहत है ।
 - इससे **ज़मीनी स्तर के नेताओं के लयि अवसर कम होते हैं और जवाबदेही कमज़ोर होती है** । उदाहरण के लयि, वर्ष **2019 के लोकसभा सांसदों में से 30% राजनीतिक परिवारों से थे**, जो भारत में वंशवादी राजनीतिकी गहरी जड़ें जमाए हुए प्रकृति को दर्शाता है ।
- **प्रवासी शर्मिकों का मताधिकार से वंचति होना:** लाखों आंतरकि प्रवासी प्रभावी रूप से मताधिकार से वंचति हैं, क्योंकि वे रसद और कानूनी बाधाओं के कारण अपने गृह नरिवाचन कषेत्रों में मतदान करने में असमर्थ होते हैं ।
 - **रमिोट वोटगि मशीन (RVM)** शुरू करने के नरिवाचन आयोग के प्रस्ताव को **व्यवहार्यता संबंधी मुद्दों के कारण आलोचना** का सामना करना पड़ा है ।
 - जनगणना- 2011 के अनुसार, भारत में **450 मलयिन से अधिक आंतरकि प्रवासी हैं**, जनिमें से अनेक का प्रतनिधित्व नहीं कया गया है ।
- **परसीमन का कूपरबंधन:** प्रतनिधित्व में समानता बनाए रखने के लयि वर्ष **1976 से रोके गए** परसीमन कार्यों ने प्रतनिधित्व में बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न कर दिया है ।
 - उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में **सीटों की संख्या केरल या तमलिनाडु जैसे राज्यों की तुलना में अनुपातहीन रूप से अधिक** है, जनिहोंने जनसंख्या नयित्रण उपायों को सफलतापूरवक लागू कया है ।
- **प्रचार में पर्यावरणीय लागतों की उपेक्षा:** रैलियों और पोस्टरों सहति बड़े पैमाने पर प्रचार के पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।
 - **चुनावों के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशषिट एक बड़ी चति का वषिय** बन गया है । उदाहरण के लयि, नरिवाचन आयोग ने इस प्रभाव को कम करने के लयि वर्ष 2023 में **'पर्यावरण के अनुकूल चुनाव अभयान'** पहल शुरू की, लेकिन इसका अनुपालन बहुत कम हुआ है ।

Key Committees on Electoral Reforms:



भारत की चुनाव प्रणाली को बेहतर बनाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **राजनीतिक अपराधीकरण पर ध्यान देना:** गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों के लिये सख्त प्रावधानों की तत्काल आवश्यकता है, जब तक कि उन्हें फास्ट-ट्रैक अदालत द्वारा दोषमुक्त न कर दिया जाए।
 - आपराधिक रिकॉर्ड को प्रमुखता से प्रकाशित करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के कार्यान्वयन को त्वरित किया जाना चाहिये। सख्त पात्रता मानदंड सुनिश्चित करने के लिये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है।
- **एक साथ चुनाव: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये एक साथ चुनाव** कराने से रसद संबंधी चुनौतियों तथा वित्तीय लागतों में कमी आ सकती है, साथ ही बार-बार होने वाले चुनावों के कारण शासन में होने वाले व्यवधान को भी कम किया जा सकता है, जैसा कि [कोवडि समिति](#) ने सुझाव दिया है।
 - इसके लिये संवैधानिक संशोधन और कार्यकाल में समन्वय की आवश्यकता होगी, लेकिन यह राजनीतिक आम सहमति से संभव है।
 - कार्यान्वयन में राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने से पहले चुनिंदा राज्यों में पायलट परीक्षण शामिल हो सकता है।
- **मतदाता मतदान में सुधार: ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण और प्रवासियों के लिये दूरस्थ मतदान तंत्र** जैसी पहल से जनसंख्या के बड़े हिस्से के मताधिकार से वंचित होने की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
 - **रिमोट वोटिंग मशीन (RVM) के लिये निर्वाचन आयोग का प्रस्ताव** एक आशाजनक कदम है, लेकिन इसके लिये सुदृढ़ परीक्षण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
 - जागरूकता अभियान, विशेषकर कम मतदान वाले शहरी क्षेत्रों को लक्ष्य करके, भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।
- **निर्वाचन आयोग (EC) की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना: कार्यकारी हस्तक्षेप को रोकने के लिये निर्वाचन आयोग की वित्तीय स्वायत्तता** सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
 - **स्वतंत्र निकायों द्वारा नथिमति नषिपादन लेखापरीक्षा** के माध्यम से पक्षपात के आरोपों का समाधान किया जाना चाहिये।
 - वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन ऐसे सुधारों के माध्यम से उसे सुदृढ़ किया जा सकता है। भरोसा बनाए रखने के लिये संस्थागत दायित्व तंत्र जरूरी है।
- **अनविरय आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र:** उम्मीदवारों और नेताओं का चयन करने के लिये राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक चुनाव लागू करने के अतिरिक्त पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके इसमें गैर-अनुपालन के लिये दंड का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिये जैसे कर्पणियों का पंजीकरण रद्द करना।
- नरिवाचन आयोग पार्टी के कामकाज की नियमि ऑडिट अनिवार्य कर सकता है। अतिरिक्त सार्वजनिक फंडिंग के माध्यम से अनुपालन करने वाली पार्टियों को प्रोत्साहित करके इस सुधार को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया का विनियमन: चुनावों के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर गलत सूचना और पेड न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिये कड़े नियम लागू किये जाने चाहिये।
 - व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों को फर्जी खबरों को तुरंत चिह्नित करने तथा उन्हें हटाने का अधिकार दिया जाना चाहिये।
 - EC की नगिरानी में तथ्य-जाँच इकाई बनाकर इस चुनौती का समाधान किया जा सकता है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल वजिापन व्यय में पारदर्शिता लागू की जानी चाहिये।
- VVPAT कवरेज का विस्तार: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में विश्वास बढ़ाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारित कम-से-कम 5% EVM के लिये VVPAT प्रचियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
 - कवरेज बढ़ाने से, यद्यपि संसाधन गहन होते हैं, प्रणाली में विश्वासनीयता बढ़ सकती है।
 - VVPAT प्रक्रियाओं के संदर्भ में जन जागरूकता अभियान EVM की विश्वासनीयता को लेकर होने वाले संदेह को दूर कर सकता है।
- मुफ्त उपहार संस्कृति का मुकाबला करना: चुनावी वादों के लिये दशा-नरिदेश स्थापित कर वैध कल्याणकारी उपायों को गैर-धारणीय मुफ्त उपहारों से अलग करने की आवश्यकता है।
 - नरिवाचन आयोग राजनीतिक दलों को अपने वादों के लिये वित्तीय रोडमैप उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है।
 - असंवहनीय योजनाओं का वादा करने वाली पार्टियों को अनिवार्य प्रकटीकरण के माध्यम से सार्वजनिक जवाबदेही का सामना करना चाहिये। मतदाताओं को मुफ्त वस्तुओं के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में शक्ति कराना भी उतना ही आवश्यक है।
- संघर्ष कषेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना: संघर्ष प्रभावित कषेत्रों में स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये उन्नत नगिरानी तथा अरुधसैनिक बलों की संख्या में वृद्धि कराना आवश्यक है।
 - मोबाइल मतदान केंद्रों जैसी बेहतर व्यवस्थागत योजना से उग्रवाद प्रभावित कषेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।
 - स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी करके विश्वास का नरिमाण किया जा सकता है, जिससे मतदान में सुधार हो सकता है। स्वतंत्र प्रयवेकषक गलत कार्यों को रोकने के लिये संवेदनशील कषेत्रों की नगिरानी कर सकते हैं।
- अभियानों में पर्यावरणीय स्थरिता को बढ़ावा देना: डिजिटल अभियान, बायोडिगिरेडेबल पोस्टर और पेपरलेस/कागज़ रहित मतदान तंत्र जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है।
 - बड़े पैमाने पर होने वाली रैलियों से प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिससे पर्यावरण संबंधी लक्ष्य कमज़ोर होते हैं। संधारणीय प्रथाओं को अपनाने वाले दलों को प्रोत्साहन देने से बदलाव लाया जा सकता है।
- अभियान के बाद सफाई अभियान के लिये गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने से पर्यावरणीय प्रभाव को और कम किया जा सकता है।

नषिकर्ष:

भारत के चुनावी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अपराधीकरण, मतदाता उदासीनता और संसाधनों के दुरुपयोग जैसी प्रणालीगत कमियों को दूर किया जाना चाहिये। नरिवाचन आयोग की स्वतंत्रता को बढ़ाने, आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने जैसे सुधार आवश्यक हैं। लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखने के लिये एक पारदर्शी और समावेशी चुनावी प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है। सुधार के लिये भारत की प्रतबिद्धता जीवन्त लोकतंत्रों के लिये एक वैश्विक मानदंड स्थापित कर सकती है।

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

प्रश्न. "भारत का चुनावी लोकतंत्र जीवन्त है, फरि भी इसे प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जनिमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।" हाल के चुनावी रुझानों के आलोक में चर्चा करते हुए भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

□□□□□□□□□□□□:

प्रश्न 1. नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजिये: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकियाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिाजन/वलिय से संबंधित विवाद नपिताता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

?????:

प्रश्न 1. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्वपूर्ण हैं? (2017)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/strengthening-india-s-electoral-democracy>

